09.07.2026 आवेदक अनीष सोनकर द्वारा अधिवक्ता श्री यश सोनकर ने उपस्थित।

अनावेदक अनिर्वाहित।

प्रकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 पर तर्क/विचार नियत है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 पर तर्क पर पुनः आवेदक पक्ष की ओर से तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक की दादी श्रीमती कला सोनकर लगभग 75 वर्ष की वृद्ध महिला है, जो कि पूर्व में स्तन केंसर से पीड़ित रही है तथा पक्षाघ ाात के कारण बिस्तर पर है एवं स्वयं चलने फिरने में असमर्थ है। उनके नाम पर केवल व्यवसाय एवं अन्य अचल सम्पत्तियां है और उन्होंने स्वस्थ्य मानसिक अवस्था में अपनी इच्छा के अनुसार पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी। लगभग 01 माह पूर्व अनावेदक क्र. 1 ने उनके उपचार का आश्वासन देकर अपने साथ अपने निवास स्थान ले गया और उनकी चिकित्सा में बाधा उत्पन्न की और सम्पत्ति अपने पक्ष में हस्तांरित करने के लिए दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया। आवेदक को विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि श्रीमती कला सोनकर वर्तमान में प्रतिवादीगण के प्रभाव व नियंत्रण में है तथा उन्हें उनकी स्वतंत्र इच्छा के विरूद्ध रखा गया है और उन्हें बाहर आने, अपनी इच्छा व्यक्त करने अथवा अन्य परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आवेदक द्वारा दिनांक 06.07.2026 को पुलिस अधीक्षक, उपपंजीयक, एस.डी.एम., कलेक्टर, थाना गोराबाजार एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को लिखित शिकायतें प्रस्तुत की गई, किन्तु आज दिनांक तक प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। पुलिस की निष्क्रियता के कारण श्रीमती कला सोनकर का जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। आवेदक को शंका है कि प्रतिवादीगण उनकी दुर्बल शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का लाभ उठाकर उनसे उपहार पत्र, विक्रय विलेख, पावर ऑफ अर्टनी, वसीयत अथवा अन्य सम्पत्ति संबंधी दस्तावेज निष्पादित करने का प्रयास कर सकते है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 के अन्तर्गत तलाशी वारण्ट जारी कर संबंधित थाना प्रभारी को, श्रीमती कला सोनकर को खोजकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाये, उनका पूर्णतः स्वतंत्र एवं निर्भीग वार्तारण में कथन लेख किये जाये, उनकी इच्छा के विरूद्ध रोका जाना पाये जाने पर उन्हें तत्काल मुक्त किया जाये, उनका तत्काल चिकित्सीय परीक्षण व उपचार कराये जाने के आदेश पारित किये जाये एवं संबंधित थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण आहूत किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक अनीष सोनकर द्वारा अनावेदक क्र. 1 अनिल सोनकर जो उसके पिता है, अनावेदक क्र. 2 सुनील एवं अनावेदक क्र. 3 विकास, अनावेदक क्र. 4 दीप्ती एवं

अनावेदक क्र. 5 श्वेता उर्फ विक्की सोनकर के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदक ने बताया कि उसकी दादी श्रीमती कला सोनकर को उनकी देखभाल एवं उपचार का आश्वासन देकर अनावेदक क्र. 1 के द्वारा उन्हें अपने निवास स्थान पर रखा गया है। मामले में अनावेदक क्र. 1, 2 व 3 श्रीमती कला सोनकर के पुत्र एवं अनावेदक क्र. 4 व 5 उनकी बहुएं है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरूद्ध है, जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है, तो वह तलाशी वारण्ट जारी कर सकता है, जिसको ऐसा वारण्ट निदिष्ट किया जाता है, ऐसे परिरूद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है और ऐसी तलाशी तद्नुसार ही ली जायेगी और यदि वह व्यक्ति मिल जाये, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जायेगा, जो ऐसा आदेश करेगा, जैसा उस मामले की परिस्थिति में उचित प्रतीत हो।

संहिता की धारा 100 प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में परिरूद्ध है, जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता हो। हस्तगत मामले में आवेदक द्वारा अपनी दादी श्रीमती कला सोनकर को अनावेदक क्र. 1 जो कि आवेदक का पिता एवं कला सोनकर का पुत्र है, के निवास स्थान पर होना बताया है।

उपरोक्त वर्णित प्रावधान से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस न्यायालय को प्रथमतः यह समाधान करना है कि परिरोध अपराध की कोटि में आता है अथवा नहीं। आवेदन पत्र के परिशीलन से ऐसा ज्ञात होता है कि जिस व्यक्ति के संबंध में वारण्ट जारी किये जाने का निवेदन किया जा रहा है, वह व्यक्ति अनावेदक क्र. 1, 2 व 3 की माता है तथा अनावेदक क्र 4 व 5 की सास है। यहां यह उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी नैसर्गिक रिश्तेदार के अधीन किसी के अभिरक्षा में है, तब की दशा में वारण्ट जारी किये जाने संबंधी समाधान ठोस रूप से कराये जाने है। किस प्रकार का अपराध गठित होने की संभावना है अथवा घटित हो रहा है, इस संबंध में आवेदन पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है।

अपराध के अर्थ में मानसिक तत्व भी समाहित है। मानसिक तत्व अपनी माता के संबंध में सभी पुत्र–पुत्रियों के संबंध में आकंलित कराये जाने योग्य सामग्री आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति की दृष्टि से आकंलित करे तो वृद्ध अवस्था में माता–पिता की देखरेख उनके पुत्र–पुत्रियों द्वारा ही की जाती है। वे ही वृद्ध व्यक्ति के नैसर्गिक रिश्तेदार होते है तथा वहीं उनके अभिरक्षा हेतु हकदार भी होते है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को यह आंशका है कि किसी सम्पत्ति संबंधी विलेख निष्पादित किये जाने प्रयोजन से श्रीमती कला सोनकर को उनके पुत्र ने रखा है, जिस कारण उसके द्वारा यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि तर्क के लिए इस बिन्दु पर विचार किया जाये, तो यह व्यवहार प्रकृति की विधि के विपरीत होगा। मामले के संदर्भ में प्रथमतः आपराधिक तत्वों का अग्रेषण करना था और तत्पश्चात यह आकंलन कराया जाना था कि नैसर्गिक रिश्तेदारी वाले व्यक्तिगण द्वारा

श्रीमती कला सोनकर की अभिरक्षा विधि विरूद्ध मापदण्डों के विरूद्ध रखे हुये थे। मामले में अपराध घटित होने योग्य समाधान नहीं होता है। विधिक समाधान के संबंध में आवेदन पत्र में तथ्य अग्रेषित नहीं किये गये है। उपरोक्त वर्णित आधारों पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

पत्रावली की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर अभिलेख अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/–

स्वाति रघुवंशी
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जबलपुर (म.प्र.)

SWATI RAGHUWANSHI

Digitally signed by SWATI RAGHUWANSHI
Date: 2026.07.09 17:38:58 +0530